

पत्र सं०-6 एस०एस०(9)05/2012- 1917/

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

रवीन्द्र कुमार, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-22/04/2026.

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :- *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- केन्द्र प्रायोजित योजना-पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme - LH&DCP) अन्तर्गत "पशु रोगों के नियंत्रण के निमित्त राज्यों की सहायता की योजना . "Assistance to States for Control of Other Economically Important, Exotic, Emergent and Zoonotic Livestock and Poultry Diseases - ASCAD" (स्थापना व्यय-100% राज्यांश एवं अन्य 60:40) के अवधि विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 111.44 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-3652, दिनांक-14.08.2025 के क्रम में केन्द्र प्रायोजित योजना-पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme - LH&DCP) अन्तर्गत "पशु रोगों के नियंत्रण के निमित्त राज्यों की सहायता की योजना- "Assistance to States for Control of Other Economically Important, Exotic, Emergent and Zoonotic Livestock and Poultry Diseases - ASCAD" (स्थापना व्यय-100% राज्यांश एवं अन्य 60:40) के अवधि विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 111.44 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी-"क" के रूप में संलग्न है।

2. ASCAD योजना के तहत पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की स्थापना पर शत-प्रतिशत राज्यांश से व्यय किया जाता है।
3. वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय राज्यादेश संख्या-1842, दिनांक-02.07.2020, वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय राज्यादेश संख्या-2824, दिनांक-18.10.2021, वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय राज्यादेश संख्या-1672, दिनांक-20.05.2022, वित्तीय वर्ष

2023-24 में विभागीय राज्यादेश संख्या-2020, दिनांक-22.05.2023, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश संख्या-5722, दिनांक-23.12.2024 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश संख्या-6 एस०एस०(9)05/2012-3652, दिनांक-14.08.2025 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (राज्यांश स्थापना व्यय 100 प्रतिशत) के अन्तर्गत चालित पशु रोगों को नियंत्रित करने के निमित्त राज्यों की सहायता की योजना (Assistance to States for Control of Animal Diseases - ASCAD) का पद सहित अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में ASCAD योजना अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की स्थापना के तहत वेतनादि भुगतान एवं अन्य मदों में व्यय के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु कुल रुपये 111.44 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है। स्थापना व्यय का वहन शत-प्रतिशत राज्यांश से किये जाने का प्रस्ताव है। व्यय विवरणी-'क' संलग्न है।
5. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ASCAD योजनान्तर्गत संगत बजट शीर्ष में पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। योजना अन्तर्गत व्यय को उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ASCAD योजनान्तर्गत व्यय का वहन बजट मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 -पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग सं०-02, उप शीर्ष-0301 -राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403001010301, पी०एफ०एम०एस० कोड-4123 के तहत किया जायेगा।
8. यह योजना चालू केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली-2007 के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची-"क" के उपनियम-4 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका-6 एस०एस०(9)05/2012 के पृष्ठ-173/टि०, डायरी संख्या-134 एवं दिनांक-13.04.2026.

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(9)05/2012 के पृष्ठ-171/टि० एवं डायरी संख्या-221, दिनांक-09.04.2026.
10. वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)05/2012- 1917 /पटना-15, दिनांक- 22/04 /2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)05/2012- 1917 /पटना-15, दिनांक- 22/04 /2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)05/2012- 1917 /पटना-15, दिनांक- 22/04 /2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)05/2012- 1917 /पटना-15, दिनांक- 22/04 /2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा-10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)05/2012- 1917 /पटना-15, दिनांक- 22/08/2026.
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)05/2012- 1917 /पटना-15, दिनांक- 22/08/2026.
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी "क"

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" (LH & DC) अन्तर्गत "पशु रोगों के नियंत्रण के निमित्त राज्यों की सहायता की योजना"

(ASCAD) के अन्तर्गत स्थापना पर होने वाले व्यय (राज्यांश 100 प्रतिशत) की विवरणी :-

| क्र० सं० | मद एवं पदनाम | वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल) | पदों की संख्या | | स्थापना व्यय (वेतनादि) | | | | | | अभ्युक्ति |
|----------|--|-----------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | वेतन-0101 | जीवन यापन भत्ता-0103 | मकान किराया भत्ता-0104 | परिवहन भत्ता-0105 | चिकित्सा भत्ता-0106 | कुल योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | वेतन एवं भत्ते | | | | | | | | | | |
| 1 | वरीय शोध पदाधिकारी (इपिडिमियोलॉजी) | Level - 13 | 1 | 1 | 1,19,300 | 83,600 | 23,900 | 6,800 | 1,000 | 2,34,600 | - |
| 2 | शोध पदाधिकारी, सांख्यिकी | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | सहायक शोध पदाधिकारी, पोल्ट्री पैथ0/पोल्ट्री बैक्ट0 | Level - 12 | 2 | 2 | 2,18,000 | 1,52,600 | 43,600 | 13,600 | 2,000 | 4,29,800 | - |
| 4 | कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पोल्ट्री/पोल्ट्री बैक्ट0 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | सांख्यिकी पर्यवेक्षक | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | पशुधन पर्यवेक्षक | Level - 6 | 1 | 1 | 70,000 | 49,000 | - | 2,600 | 1,000 | 1,22,600 | - |
| 7 | पशुधन सहायक | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | प्रयोगशाला सहायक-सह- तकनीशियन | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | चालक | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग :- | | 20 | 4 | 4,07,300 | 2,85,200 | 67,500 | 23,000 | 4,000 | 7,87,000 | - |
| | 1 (एक) वर्ष का वेतन | | | | 48,87,600 | 34,22,400 | 8,10,000 | 2,76,000 | 48,000 | 94,44,000 | |
| | बकाया एवं अन्य वेतनादि | | | | 6,00,000 | 1,30,000 | 2,70,000 | - | - | 10,00,000 | |
| | कुल योग (वेतन एवं भत्ते) | | | | 54,87,600 | 35,52,400 | 10,80,000 | 2,76,000 | 48,000 | 1,04,44,000 | |
| | अन्यान्य मद :- | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 01 -चिकित्सा प्रतिपूर्ति | | | | | | | | | | 50,000 |
| 2 | 11 01 -यात्रा भत्ता | | | | | | | | | | 3,00,000 |
| 3 | 13 01 -कार्यालय व्यय | | | | | | | | | | 3,50,000 |
| | कुल प्रस्तावित राशि :- | | | | | | | | | 1,11,44,000 | |

(रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार मात्र)

1917
22/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव